

पत्रावली देखने वाली पत्रावली के पत्रावली  
14/5/19 को पेश की।

५

14.5.19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता  
के सम्मत नोटिस लम्बित होकर पूर्व में पेश की गई।  
आज ही P12 के साथ पेश केने पर जारी की। पत्रावली  
देखने वाली रिपोर्ट एवं जवाब में क्रिक 11.6.19 का  
पेश की। इतना बितने पर वकील प्रार्थी ने अधिवक्ता  
के सम्मत नोटिस आज ही तैयार कर पेश करने की  
सहमति दी गई। वकील प्रार्थी को वक्त सुनवाई पत्रावली  
के सम्मत नोटिस तैयार कर प्रस्तुत कहे हुए कई बार  
अपसर दिये जा चुके हैं। फिर भी इसके द्वारा पेश  
नहीं किये गये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि  
वकील प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने  
में रुचि नहीं को जा रही है। अधिवक्ता क्रिक  
18/5/2019 से दि. 26/3/19 तक का अवलोकन कठेपट  
भी प्राप्त होता है कि वकील प्रार्थी द्वारा कोई भी  
आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। अतः वकील  
प्रार्थी का प्रार्थना अन्वति आदेश 3 नियम 13 जा. से.  
एवं आदेश 3 नियम 7 जा. से. एवं धारा 151 जा. से.  
अस्वीकार कर खरीज किया जाता है। अतः  
पत्रावली केसब सुमार बका बका से कम है।

उपखण्ड अधिकारी,  
दंगला